भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति : एक अनुषीलन

मदन कुमार

शोधकर्ता, वाणिज्य एवं प्रबन्धन विभाग, ल0ना0मि0वि0वि0, दरभंगा

ABSTRACT

भारत एक विकासशील देश हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हैं। कृषि के पश्चात् लघु उद्योग ही हैं, जिस पर भारत की अधिकांश जनसंख्या आश्रित हैं। भारत मे ं प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हैं। उनका समुचित उपयोग देश के आर्थिक विकास में चार चॉद लगा सकता हैं। प्राकृतिक संसाधनों का देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनके समुचित दोहन से देश का तीव्र गति से विकास होगा। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के स्वरुप को समझने में औद्योगिक ने हेतु भी इसकी आवश्यकता होती हैं। अतः औद्योगिक ने हेतु दो भागों में उद्योगों को बांटा गया हैं। धु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भुमिका अदा करता हैं। ये उद्योग कम से कम पूंजी निवेश की सहायता से अधिक से अधिक लोगो ं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करातें हैं।भारत में विशाल जनशक्ति की बहुलता हैं। इन जनशक्ति का प्रभाव देश में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं। यदि जनसंख्या निष्क्रिय हैं, तो देश में बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होगी। इसके विपरित यदि जनसंख्या सक्रिय हैं, तो देश का आर्थिक विकास अवश्य ही संभव हैं। वर्तमान में वृहद उद्योगो ने संपूर्ण जगत में अपना वर्चस्व बनाए रखा हैं, परन्तु लघु उद्योगों के महत्व को भी नकारा नही जा सकता हैं। यदि हमें हमारें देश को विकसित करना हैं, तो हमें लघु उद्योगों का विकास करना होगा। भारत को संपन्न देश बनाने हेतु लघु उद्योगों को वृहद उद्योगों के समान महत्व देना होगा।

शब्द संकेतः उद्योग, इकाईयाँ, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, श्रमशक्ति एवं रोजागार

विषय प्रवेशः

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्थान प्राचीन काल से ही महत्त्वपूर्ण रहा है। एक जमाना था जब भारतीय ग्रामोद्योग उत्पाद का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता था। भारतीय वस्तुओं का बाजार चर्मोत्कर्ष पर था। किन्तु औपनिवेशिक शासन में ग्राम उद्योगों का पतन हो गया। फलतः हमारे गाँव एवं ग्रामवासी गरीबी के दल.दल में फँस गए हैं। ऐसे गाँवों के विकास में ग्राम.उद्योग का अपना महत्व है। गाँवों के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा थाःजब तक हम ग्राम्य जीवन को पुरातन हस्तशिल्प के सम्बंध में पुनः जागृत नहीं करते, हम गाँवों का विकास एवं पुनर्निर्माण नही कर सकेंगे। किसान तभी पुनः जागृत हो सकते हैं जब वे अपनी जरूरतों के लिये गाँवों पर ही निर्भर रहें न कि शहरों पर, जैसा की आज। उन्होंने आगे कहा था, बिना लघु एवं कुटीर उद्योगों के किसान मृत है, वह केवल भूमि की उपज से स्वयं को नहीं पाल सकता। उसे सहायक उद्योग चाहिए। गाँधीजी ने परतंत्रत काल में भारतवासियों की दुर्दशा देखने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन एवं विकास की दृष्टि से एकादश व्रत के साथ–साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम तय किए थे। इसमें खादी और दूसरे ग्रामोद्योग को ग्राम विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत एक विकासशील देश हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हैं। कृषि के पश्चात् लघु उद्योग ही हैं, जिस पर भारत की अधिकांश जनसंख्या आश्रित हैं। भारत मे ं प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हैं। उनका समुचित उपयोग देश के आर्थिक विकास में चार चॉद लगा सकता हैं। प्राकृतिक संसाधनों का देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनके समुचित दोहन से देश का तीव्र गति से विकास होगा। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के स्वरुप को समझने में औद्योगिक ने हेतु भी इसकी आवश्यकता होती हैं। अतः औद्योगिक ने हेतु दो भागों में उद्योगों को बांटा गया हैं। 1. वृहद उद्योग 2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वृहद एवं लघु उद्योगों का विभाजन विनियोजित पूंजी, यांत्रिक शक्ति, तथा श्रमिकों की संख्या आदि के आधार पर किया जा सकता हैं। 1. वृहद उद्योगः जिन उद्योगों का निर्माण अधिक मात्रा में पूंजी विनियोजन, श्रमिकों की अधिक संख्या तथा मशीनों व उपकरणों का अत्यधिक उपयोग होता हैं, वे उद्योग वृहद श्रेणी के उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत वस्त्र उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग शामिल किए जाते हैं। 2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगः इन उद्योग के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं के उत्पादन का कार्य सम्मिलित किया जाता हैं, जहॉं पूंजी का कम से कम विनियोजन किया जाता है ं। श्रमिको की संख्या भी कम होती हैं, तथा मशीनें व उपकरण भी नही ं के बराबर उपयोग में लाए जाते हैं। लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भुमिका अदा करता हैं। ये उद्योग कम से कम पूंजी निवेश की सहायता से अधिक से अधिक लोगो ं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करातें हैं।

हमारे देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लघु व कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कुटीर उद्योग परम्परागत उद्योग हैं, इनमें कम पूंजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती है। लघु उद्योग में भी कम पूंजी लगती है। लघु उद्योग इकाई ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो, किन्तु कुछ मद जैसे कि हौजरी, हस्त–औजार, दवाइयों व औषधि, लेखन सामग्री मदें और खेलकूद का सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रु. तक है, लघु उद्योग श्रेणी को नया नाम लघु उद्यम दिया गया है। सरकार अब इन उद्योगों हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

लघु उद्योग' छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ वे इकाइयां होती है जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती हैं। इन इकाइयों मे श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादान किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगो से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबन्ध, आगतों एवं निर्गतो के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। ये कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती हैं– उत्पादन में यंत्रीकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाये गये श्रमिकों एवं परिवारिक श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भौगोलिक आकार, विनियोजित पूंजी इत्यादि।लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकार उद्योगों में किया है– 1. सूक्ष्म उद्योग 2. लघु उद्योग 3. मध्यम उद्योग।

मुख्यतया लघु उद्योगों को इन में विनियोजित राशि के मापदण्डो से वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण उपाय के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक नही होता है। लघु उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम होता है। मध्यम उद्योग वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पॉच करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रूपये से कम होता हो। सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से आगे नहीं बढ़ता है और लघु उद्योग, जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपये से अधिक नही है एवं मध्यम उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम न हो। भारतीय आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विर्निमाण क्षेत्र की संरचना एवं स्वरूप के महत्वपूर्ण भाग है।

लघु उद्योगों में श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटी मशीनों एवं विघुत शक्ति का उपयोग करे बिना भी श्रमिक अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग है। कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे बीडी बनाना, रस्सी या टोकरी बनाना आदि। छोटे उद्योग आय एवं संपति के केंद्रीकरण को बढावा न देकर उसके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते है। अतः आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के दोषों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर कम किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण एवं उचित वितरण किया जा सकता है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात उतरोत्तर बढ रहा है। अनेक ऐसी कलात्मक वस्तुए है जो मशीनों से उत्पादित नहीं की जा सकती है जैसे हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकडी आदि पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढाई, विभिन्न धातुओं पर नक्काशी का काम आदि। इसके लिए हस्तकौशल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हथकरघे के उत्तम किस्म के वस्त्र भी कुटीर उद्योगों के प्रतीक है। देश के कुल निर्यातों में लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 34 प्रतिशत है।

लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते है। यदि इनके तकनीकी स्तर पर सुधार किया जाय एवं बिजली से संचालित मशीनों के उपयोग की सुविधाएं इन्हे प्रदान की जाएं तो लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है और राष्ट्रीय उत्पादन में इनके और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है। आजकल शहरों में बढते हुए मूल्य–स्तर के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना जीवन–स्तर कायम रखना कठिन होता है। यदि जापानी ढंग से कुछ ऐसी सरल प्रणाली अपनायी जाए जिसमें छोटी मशीनों की सहायता से उत्तम किस्म की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके तो लघु एवं कुटीर उद्योग मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते है।

कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है। इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। उत्पादन भी प्रायः हाथ द्वारा किया जाता है। परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतन भोगी श्रमिक नही होते हैं। लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है। सवेतन श्रमिकों की प्रधानता रहती है तथा पूंजी निवेश भी होता है। कतिपय कुटीर उद्योग ऐसे भी है, जो उत्कृष्ट कलात्मकता के कारण निर्यात भी करते है। अतः उन्हे लघु क्षेत्र में रखा गया था, जिससे उन्हें भी सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहे।

10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन, मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15 हजार रूपये से कम स्थिर पूंजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते है। राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ग्रामोद्योग उद्योग इन इकाइयों की स्थापना संचालन आदि में तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करते है।

सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्योग देश की सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। यह अनुमान किया जाता है कि मूल्य के अर्थ में यह क्षेत्र निमार्ण की दृष्टि से 39ः एवं भारत के कुल निर्यात के 33ः के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र का लाभ यह है कि इसकी रोजगार क्षमता न्यूनतम पूंजी लागत पर है। लघु उद्योगों की आवश्यकता देश की परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा हेतु भी आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से लघु उद्योग निर्यात संवर्धन व देश को आत्म निर्भरता की और जाने हेतु है लघु उद्योग आयात प्रतिस्थापन में सहायक है। वे निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी केंद्रीय सरकार ने क्रमशः कृषि और भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया जिसके कारण लघु एवं कुटीर उद्योग शनैः–शनैः उपेक्षित होते चले गए। हालाँकि कुटीर उद्योगों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इसके संचालन में निजी स्तर पर लोगों के प्रयास जुड़े थे और आज भी कुटीर उद्योग अन्य उद्योगों के समानांतर खड़े होकर अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

गाँवों, कस्बों तथा शहरों में आटा चक्की, तेल मिल, हथकरघा, रेशमी व खादी कपड़े, फसलों की कटाई–बिनाई आदि विभिन्न कार्य कुटीर उद्योग के स्तर पर हो रहे हैं। दरजी, बढ़ई, लोहार आदि के परंपरागत पेशे इसी श्रेणी में आते हैं । कुछ लोग छोटे स्तर पर धातुकर्म, चमड़े का काम, विभिन्न मशीनों के पुर्जे बनाने का काम, ईंट बनाने का काम, कागज की थैली बनाने का काम आदि कर रहे हैं जो आधुनिक कुटीर उद्योगों के सर्वात्तम उदाहरण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पूरी दुनिया में कुटीर उद्योगों का स्वरूप भले ही परिवर्तित हुआ हो, इस प्रकार के उद्योगों का भविष्य अधर में नहीं कहा जा सकता। कुटीर उद्योगों में मशीनीकरण भी एक सुखद घटना है क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि हुई है। फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, इन

पर आधारित कुटीर उद्योगों के माध्यम से सरलता से किया जाता है।

अचार, जैम, जेली, पापड़, बिस्कुट, तैयार मसाले आदि विभिन्न खाद्य वस्तुएँ एक तरफ जहाँ बड़े पैमाने पर तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे स्तर पर भी इनके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस तरह लाखों लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। अभी भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ हमारी दैनिक आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यद्यपि देश के तीव्रगामी विकास के लिये बड़े उद्योगों को अधिक महत्व देते थे, फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया करते थे। उनका मानना था कि गाँवों के विकास के लिये घरेलू उद्योग का विकास स्वतंत्र इकाइयों के रूप में किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास की योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिये 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। जिसने स्पष्ट किया है– लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण अंग हैं जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

देश में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कृषि प्रधान देश की सीमित खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बेरोजगारों को अपने में खपा नहीं सकता है। सरकारी स्तर पर नौकरियाँ बढ़ाने की व्यवस्था करने की सम्भावना भी नहीं लगती है। ऐसी स्थिति में हर हाथ को काम देने के लिये ग्रामोद्योग का विकास उपयुक्त रणनिति हो सकता है। आजादी के बाद लघु उद्योगों के विकास के लिये अत्यधिक प्रयास किए गए। सन 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इनके विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। फिर 1951, 1977, 1980 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया। सबके मिले–जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने मे काफी मदद मिली है।

देश में पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना पहली बार 1972 में पूर्ण हुई थी जिसमें 1. 40 लाख इकाइयों की गणना की गई थी। 15 वर्ष बाद 1988 में संपन्न हुई गणना के अनुसार देश में 5.82 लाख इकाइयां कार्यरत थी। इनसे वर्ष 1972–73 में 16.53 लाख लोगों को रोजगार मिला था वह वर्ष 1987–88 में बढ़कर 36.66 लाख तक पहुँच गया। निर्यात में भी वृद्धि की दर अधिक रही। वर्ष 1972–73 में 127 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जो वर्ष 1987–88 में बढ़कर 2,499 करोड़ रुपये हो गया। एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010–11 में बढ़कर 311. 52 लाख इकाईयाँ हो गई तथा 10,95,758 करोड़ रूपये का उपत्पादन कियाय गया। साथ हीं 732.17 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। रोजगार एवं निर्यात की सम्भावना को देखते हुए सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिये आवंटन में सातवीं योजना के मुकाबले में आठवीं योजना में चौगुनी वृद्धि की है।

लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व :

भारत जैसे विकासशील देश में देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। देश का औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यम संबंधी आधार सृजन में लिए उनके योगदान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण खण्ड हैं। मोटे तौर पर ये उद्योग अर्थव्यवस्था के पारम्परिक अवस्था से प्रौद्योगिकीय अवस्था में पारगमन को प्रदर्शित करते हैं। उद्यम आधार के विस्तार के लिए लघु उद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु उद्योगों का विकास उद्योग के विस्तृत आधार का स्वामित्व प्राप्त करने, उद्यम का अपविस्तार और औद्योगिक क्षेत्र में पहल करने के लिए सरल और प्रभावी साधन प्रदान करता है।

लघु उद्योगों ने बीते 50 साल में प्रगति के अनेक सोपान तय किये हैं। हमारे देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इन उद्योगों का योगदान अहम साबित हुआ है। इन्होने कम पूँजी से रोजगार उपलब्ध कराये हैं। ग्रामीण इलाको में औद्योगीकरण का प्रकाश फैलाया है तथा क्षेत्रीय असंतुलन में कमी को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु उद्योग में हुए विकास ने आधुनिक तकनीक अपनाने तथा लाभकारी रोजगार में श्रम शक्ति का अवशोषण करने के लिए उद्यमशीलता की प्रतिभा का उपयोग करने को प्राथमिकता प्रदान की है जिससे उत्पादकता और आय के स्तर को बढ़ाया जा सके। लघु उद्योग उद्योगो के प्रसार तथा स्थानीय संसाधनों के उपयोग में सुविधा प्रदान करते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा नामक योजना के अन्तर्गत बेहद छोटे उद्यमियों को 50,000 रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक के कर्ज उपलब्ध कराये जाते हैं इस योजना से लघु उद्योगों के लिए प्रगति का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। लघु, कुटीर व घरेलू उद्योग परियोजनाएं नए उद्यमी व संभावित उद्यमियों को उद्योग – व्यवसाय की स्थापना व संवर्द्धन की दिशा में प्रेरित करती हैं जिससे वे देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान बढ़ा सकें।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा :

अध्ययनों की समीक्षा के लिए विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों एवं शोध आलेखों का अध्ययन किया गया है। जिसमें प्रमुख है :

वेंकटेश एवं मुथैया (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि लघु उद्योग रोजगार के साथ–साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होता है।

दीक्षित एवं पाण्डेय (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि 1973–74 से लेकर वर्ष 2006–07 तक लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का योगदान निर्यात, रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है अतः लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का बढ़ावा देकर भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

शर्मा अशोक एवं कुमार (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के विकास में कार्यरत पूँजी के उपलब्धता एवं उचित प्रबन्धन सहायक सिद्ध होता है जो निर्यात एवं रोजगार सृजन में कारगर सिद्ध होता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

- भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति के अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है।
- इस अध्ययन के आधार पर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्त्तमान अध्ययन के आधार पर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन पद्धति :

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र–पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री :

लेखन सामग्री का उत्पादन, आयुर्वेदिक फार्मेसी, सौंदर्य व श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, प्रिंटिंग इंक उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, आइस–क्रीम उद्योग, डेरी उद्योग, कन्फैक्शनरी उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, वाशिंग डिटरजेंट पाउडर, पापड़, बड़ियां और चाट मसाला उद्योग, लैटेक्स रबड़ उद्योग, रबड़ की हवाई चप्पल बनाना, प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन, पॉलीथीन शीट उद्योग, प्लास्टिक की थैलियां, पेपर पिन (आलपिन) तथा जेम–क्लिप बनाना, तार से कीलें बनाना, टीन के छोटे डिब्बे–डिब्बियां, कॉर्न फ्लेक्स, फलों व सब्जियों की डिब्बाबन्दी एवं संरक्षण, खिलौना और गुड़िया उद्योग, दियासलाई उद्योग, मसाला उद्योग, डबल रोटी उद्योग, इस्तेमाल किये गये इंजन ऑयल का पुनर्शोधन, ग्रीस उत्पादन, कटिंग ऑयल, एढ़ैसिव उत्पादन उद्योग, मच्छर भगाने की क्रीम, सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल बैंडेज उद्योग, होजरी उद्योग, रेडीमेड गारमेंट उद्योग, स्विच और प्लग उद्योग, ड्राई सैल बैटरी, बोल्ट एवं नट उद्योग, सोप एंड क्लीनर्स इंडस्ट्री, सिल्क स्क्रीन द्वारा कपड़ों पर छपाई, बिस्कुट उद्योग, चीनी उद्योग (खांडसारी), इलैक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, टायर रिट्रीडिंग उद्योग, खाद्य रंगों का निर्माण, फलों और फूलों के एसेन्स, मक्खन और मसालों की सुगन्धें, चिप्स तथा वेफर्स, नूडल्स एवं सेवइयां, माल्ट फूड तथा माल्ट मिश्रित पेय, मक्का स्टार्च, पान मसाले तथा गुटके, सुगंधित जाफरानी जर्दा, किवाम तथा मसाले, हुक्के सुगन्धित तम्बाकू, नसवार पाउडर और पेस्ट, सूखी संरक्षित और डिब्बा बंद सब्जियां, सॉसेज, केचअप व अचार, दुग्ध पाउडर, घी, पनीर, कत्था निर्माण उद्योग, पेंट निर्माण उद्योग आदि।

लघु एवं कुटीर उद्योग में व्याप्त समस्या :

कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं–

- कच्चे माल की समस्या – अधिकांश कुटीर उद्योग कच्चे माल हेतु स्थानीय स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन स्थानीय स्रोत दोहरा शोषण करते हैं, जैसे–कच्चे माल को ऊंचे दाम पर बेंचना व निर्मित माल कम कीमत पर खरीदना। लघु उद्योग जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन सामान्यतः बड़े उद्योग करते हैं, फलस्वरूप लघु उद्यमी कच्चे माल से वंचित रह जाते हैं, जबकि बड़े उद्यमी कच्चे माल को थोंक में खरीद लेते हैं।
- वित्त की समस्या – कुटीर एवं लघु उद्योगों की सर्वाधिक गम्भीर वित्तीय समस्या है, क्योंकि ऐसे उद्यमों को वित्त प्राप्त करने में विशेष कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, जो लघु उद्यमियों के लिए कठिन है। इसके अलावा वित्त प्राप्त करने में समय की बर्बादी होती है जिसे लघु उद्यमी निराश होकर बैंक, वित्त निगम व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि का सहारा छोड़कर स्थानीय महाजन अथवा साहूकर से ऋण प्राप्त कर लेता है।
- बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धी की समस्या – भारत में बड़े उद्योग की तरह लघु उद्योग भी स्वतन्त्र अस्तित्व में रहकर उत्पादन क्रियायें करते हैं। इससे दोनों प्रकार के उद्योगों में न केवल बाजारी–प्रतिस्पर्धा विपणन के समय उत्पन्न होती है, बल्कि कच्चे माल, वित्त सुविधा प्राप्त करने में भी कलागाट प्रतिस्पर्धा होती है। इसी का परिणाम है कि लघु उद्योग बीमार उद्योग हो जाते हैं।
- विपणन की समस्या – (अ) चूंकि ऐसे उद्यमियों की बाजार में कोई दुकाने कोई नहीं होती है, जहाँ उत्पादित माल सरलता से बेचा जा सके। फलतः फुटपाथ पर वस्तुएं रखकर विपणन करना पड़ता है।
- (ब) ऐसे उत्पादकों को अपनील वस्तुएँ बिचौलिये के हाथों बेचनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें वस्तु की उचित कीमत नहीं मिल पाती है।
- (स) ऐसे उत्पादकों की वस्तुएं प्रमापीकृत व वर्गीकृत नहीं होती है, अतः प्रत्येक वस्तु का अलग–अलग मूल्य होता है।
- (द) ऐसे उत्पादकों के उपभोक्ताओं की रुचि का ज्ञान नहीं होता है, अतः रुचि के विपरीत वस्तुएं उत्पादित होने पर उन्हें कम मूल्य पर वस्तुएं बेचनी पड़ती है।
- प्रमापीकरण की समस्या – भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों का उत्पादन सदैव अप्रमापित रहता है, जिससे उन्नत किस्म समरूप व वर्गीकृत वस्तुओं का अभाव है। इससे उद्यम के श्रमिक, कारीगर व मालिक उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- अकुशल कारीगरों की समस्या – कुटीर एवं लघु उद्योगों में अकुशल श्रमिकों की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि लघु उद्यमी न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिकों को उद्योग में रखते हैं, इसका कुप्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। अतः असल मजदूरी न मिलने के कारण भी कुशल कारीगर उपलब्ध नहीं होते हैं।
- करभार की समस्या – सरकारी आदेशों में कुटीर एवं लघु उद्योगों कर मुक्त हैं। वास्तव में कुटीर उद्योग कर मुक्त है, परन्तु लघु उद्योग अनेकानेक करों से दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उत्पादन कर, रजिस्ट्रेशन फीस, आयकर, बिक्री कर व स्थानीय करों का भुगतान करना पड़ता है। अतः कुटीर एवं लघु उद्योगों का कर भार ऐसा है जिसे उपभोक्ताओं पर भी विवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- कुशल प्रबन्ध व्यवस्था का अभाव – यदि कुटीर हैं, जिनमें लघु स्तरीय उत्पादन करने के लिए 75 लाख रु. तक की पूंजी विनियोजित करके 11 मजदूर से 50 मजदूर तक किराये पर रखकर कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्यामुक्त करने के उपाय –

- वित्त की व्यवस्था – कुटीर एवं लघु उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था हेतु विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ जैसे–व्यापारिक बैंक व राज्य वित्त निगम आदि स्थापित होने चाहिए। जो सरलता से ऐसे उद्योगों को ऋण प्रदान करें। इसी प्रकार कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए बैंक को ब्याज की दर भी कम होनी चाहिए, जिससे लघु उद्यमी भी तरलता अधिमान दे सके।
- कच्चे माल की उपलब्धता – कच्चा माल सुगमता से लघु उद्यमियों को प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अतः कच्चे माल की आपूर्ति लघु उद्यमियों को सरलता से हो। इस हेतु सहकारी गठित होनी चाहिए, जो सामान्य वस्तुओं से सम्बन्धित इकाइयों के कच्चे माल को उपलब्ध करायें।
- तकनीकी सहायता – तकनीकी सहायता से उद्यम की उत्पादन–कुशलता में वृद्धि एवं उत्पादन लागत कम होती है। नवीन वस्तुओं का उत्पादन भी तकनीकी सहायता पर निर्भर है। यह तकनीकी सहायता सरकार को लघु उपकरण, यंत्र, विद्युत चालित मशीनों के रूप में कम कीमत पर उपलब्ध करानी चाहिए।
- बड़े एवं लघु उद्योगों की आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त की जाए – सरकार का दायित्व है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों से निर्मित वस्तुओं का बाजार सुरक्षित किया जाये, जहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों से निर्मित वस्तुएँ नहीं विक्रय होनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि बड़े उद्योगों के पूरक या सहायक उद्योगों के रूप में इकाइयों को विकसित किया जाये, जिससे बड़े उद्योग प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसी इकाइयों पर निर्भर हो जायें।
- करो में छूट – चूंकि लघु इकाइयों के उत्पादक कर भार को वस्तुओं की कीमत पर विवर्तित नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुटीर एवं लघु उद्योगों को शैशवावस्था में कर मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन लाभ में चलने वाली इकाइयों पर न्यूनतम कर भी लगाये जा सकते हैं।
- विपणन सुविधाएँ –सरकार को विपणन व्यवस्था हेतु कुछ ऐसे बाजार निर्मित करने चाहिए जहाँ ऐसे उद्योगों का माल विक्रय हो। इसके अलावा सरकार केन्द्रीय विपणन संस्था की स्थापना करे, जो ऐसे उद्यमियों से प्रत्यक्ष रूप में माल खरीदे और निर्यात की व्यवस्था करें। यदि सम्भव हो तो ऐसे उद्योगों को सस्ते परिवहन की सुविधा भी समीचीन है।
- उद्योगों में प्रमापीकरण व्यवस्था लागू हो – सरकार को उन्नत किस्म, वस्तु का आकार एवं गुणवत्ता की दृष्टि से प्रमापीकरण के अन्तर्गत नमूना या ट्रेडमार्क प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुछ उद्योग परिष्कृत हो सकें । यह व्यवस्था प्रारम्भ में दस्तकारी वस्तुओं, खेलकूद के सामान व लघु इंजीनियरिंग से प्रारम्भ होनी चाहिए।
- निःशुल्क लाइसेंस – कुटीर एवं लघु उद्योगों को निःशुल्क लाइसेंस देना आवश्यक है, क्योंकि लघु उद्यम स्थापित करते समय उद्यमियों को सर्वप्रथम लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया सरल नहीं है।
- प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन– ऐसे उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए पृथक प्रदर्शनियाँ एवं मेलों का आयोजन किया जाए।

- अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना एवं प्रशिक्षण – इन उद्योगों का विकास करने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित होने चाहिए, जो न्यूनतम लागत पर परिष्कृत एवं उच्च कोटि की वस्तुएँ उत्पादित कराने में उद्यमी का सहयोग करें। इसी प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था के अभाव में अकुशल श्रमिक ही उन्हें उपलब्ध हो पाते हैं। अतः सरकार को 'ट्रेनिंग सेन्टर्स' स्थापित करने चाहिए, जो निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करें।

लघु उद्योगो ं हेतु सरकारी प्रयासः

भारत में लघु उद्योगों के महत्व को समझते हुए सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढाने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा लघु उद्योगो के लिए कुछ वस्तुऍं आरक्षित की गई हैं। जिसका उत्पादन वृहद उद्योगों द्वारा नही किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है ं। इन्हैं वित उपलब्ध कराने हेतु प्रत्य`क राज्य में राज्य वित्त निगम का स्थापना की गई हैं। ये निगम कम स` कम ब्याज दर पर इन उद्यमियों को ऋण प्रदान करते लघु उद्योगों संवर्धन एवं विकास हुतु सरकार द्वारा भारतीय लघु उद्योग वित्त निगम की स्थापना की गई हैं। इन निगमों की स्थापना का मुल उद्देश्य लघु उद्योगों का विकास करना हैं। इनके विकास द्वारा ही भारत को उन्नतशील देश बनाया जा सकता हैं।

बीते वर्षों में इन उद्योगों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाये गये हैं। इनमें क्रेडिट की उपलब्धता, प्रौद्योग के उन्नयन के लिए योजनाओं की शुरूआत, गुणवत्ता सुधार और इस क्षेत्र के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सहायता देने जैसे उपाय शामिल हैं। ग्रामीण भारत में लघु व सूक्ष्म उद्योगों के योगदान को देखते हुए सरकार इनपर भी विशेष ध्यान दे रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र द्वारा तैयार वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 152 लाख लोगों को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है। आयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के जरिये अपने लघु एवं कुटीर उद्योग चला रहे लोगों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास कर उन्हें देश के शहरी बाजारों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रही है।

निष्कर्षः

लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूँजी के विनिवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में रोजगार के साधन उपलबध कराये जा सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करके आय एवं सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने में भी अहम भूमिका निभाते है। यहीं नहीं, वे आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण की मदद से प्रादेशिक असंतुलनों को भी कम करते हैं। भारत में विशाल जनशक्ति की बहुलता हैं। इन जनशक्ति का प्रभाव देश में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं। यदि जनसंख्या निष्क्रिय हैं, तो देश में बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होगी। इसके विपरित यदि जनसंख्या सक्रिय हैं, तो देश का आर्थिक विकास अवश्य ही संभव हैं। वर्तमान में वृहद उद्योगो ने संपूर्ण जगत में अपना वर्चस्व बनाए रखा हैं, परन्तु लघु उद्योगों के महत्व को भी नकारा नही जा सकता हैं। यदि हमें हमारें देश को विकसित करना हैं, तो हमें लघु उद्योगों का विकास करना होगा। भारत को संपन्न देश बनाने हेतु लघु उद्योगों को वृहद उद्योगों के समान महत्व देना होगा।

संदर्भ स्रोतः

1. Sharma, A.K. & Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India. Global Business Review, 12(1), pp. 159–173.
2. Dixit, A. and Pandey, A.K. (2011), „SMEs and Economic Growth in India: Co integration Analysis", The IUP Journal of Financial Economics, Vol. IX, No. 2, PP. 41-59
3. Venkatesh, S. and Muthiah, K. (2012), „SMEs in India: Importance and Contribution", Asian Journal of Management Research, Vol. 2, No. 2, pp.31-34.